राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031

अनुलग्नक-1 (Annexure-1) न्यूनतम पात्रता मानदंडों के समर्थन में दस्तावेज

अनुक्रमणिका (INDEX)

(फर्मों द्वारा तकनीकी बोली के शीर्ष पर रखा/अपलोड किया जाना है)

क्रम संख्या	संलग्न दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र (अनुलग्नक सहित) विधिवत भरा हुआ, जहाँ लागू हो, और निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ।	
2	प्रपत्र अनुलग्नक-ए (Form Annexure-A) पर निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम दर्शाते हुए पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की स्कैन की गई प्रति।	
3	(FSSAI) पंजीकरण प्रमाण पत्र: इस निविदा के जारी होने की तिथि को बोलीदाता फर्म/कंपनी का अस्तित्व 02 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए।	
4	निविदाकर्ता/फर्म के नाम पर FSSAI अधिनियम, 2006 के तहत वैध लाइसेंस की प्रति।	
5	आयकर विभाग द्वारा जारी निविदाकर्ता/फर्म के पैन (स्थायी खाता संख्या - PAN) की स्कैन की गई प्रति।	
6	सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठनों या निजी संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों में दो (02) वर्षों तक कैंटीन सेवाएं संचालित करने का प्रमाण, साथ ही उपरोक्त संगठनों में वर्तमान में कैंटीन सेवाएं चलाने का साक्ष्य।	
7	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में फर्म/एजेंसी के निदेशकों/मालिक द्वारा दिए गए वैध प्राधिकरण पत्र (Authorization Letter) की स्कैन की गई प्रति। (यदि लागू हो)	
8	निविदा आमंत्रण प्राधिकारी अर्थात **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031** के पक्ष में विधिवत गिरवी रखे गए किसी भी राष्ट्रीयकृत या वाणिज्यिक बैंक से एफडीआर/डीडी (FDR/DD) के रूप में बयाना राशि (EMD)।	
9	अनुलग्नक-बी (Annexure-B) के अनुसार ₹10/- के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निविदाकर्ता (बोलीदाता) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक वचनबद्धता (Undertaking) प्रस्तुत की जानी है, जो विधिवत नोटरीकृत हो और क्षेत्र के नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो।	

क्रम संख्या	संलग्न दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या
10	निविदाकर्ताओं द्वारा ₹10/- के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत एक वचनबद्धता दी जाएगी जिसमें यह उल्लेख हो कि: 1. प्रोपराइटर/फर्म/नियोक्ता के खिलाफ पुलिस में कोई मामला लंबित नहीं है। 2. प्रोपराइटर/फर्म को पिछले 2 वर्षों से किसी भी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट/वंचित (Debar) नहीं किया गया है। 3. एजेंसी को कार्य आवंटित होने की स्थिति में एजेंसी कार्य करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम है।	
11	प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031 के पक्ष में, पांवटा साहिब में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट (DD) के रूप में बोली प्रतिभूति (EMD) के रूप में ₹2000/- (केवल दो हजार रुपये) की राशि जमा की जाएगी। DD संख्या: …….. दिनांक: …….. जारीकर्ता बैंक: …….	
12	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 180 दिनों तक वैध रहेगी।	

हस्ताक्षर एवं मुहर

सामान्य नियम और शर्तें (GENERAL TERMS AND CONDITIONS)

1. कैंटीन चलाने का लाइसेंस सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
2. लाइसेंसधारी द्वारा रविवार और राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक कैंटीन खुली रखी जाएगी।
3. **सेवा शर्तें और श्रम कानून:**
4. (क) लाइसेंसधारी द्वारा नियोजित श्रमिकों की सेवा शर्तें ऐसे श्रमिकों को नियंत्रित करने वाले तत्समय प्रवृत्त कानून द्वारा शासित होंगी, जिसमें विफल रहने पर उन नियमों और शर्तों के अनुसार होंगी जो समिति प्रधानाचार्य के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर निर्धारित कर सकती है।
   (ख) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा श्रमिक कैंटीन के लिए श्रमिक के रूप में रखे जाने के योग्य है।
   (ग) यदि समिति ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, संतुष्ट हो जाती है, तो वह लाइसेंसधारी से किसी भी श्रमिक की सेवाएं समाप्त करने की अपेक्षा कर सकती है;
   (घ) लाइसेंसधारी श्रम/बाल श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और वह 18 वर्ष से कम आयु के श्रमिक को रोजगार नहीं देगा।
5. लाइसेंसधारी द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक के पूर्ववृत्त (Antecedents) का पुलिस के माध्यम से लाइसेंसधारी द्वारा सत्यापन कराया जाएगा और प्रत्येक की तस्वीर के साथ ऐसी सत्यापन रिपोर्ट उनके रोजगार की तिथि से दस दिनों के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा प्रधानाचार्य को प्रस्तुत की जाएगी।
6. लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्रदान करने की तिथि और/या रोजगार की तिथि, जैसा भी मामला हो, से 5 दिनों के भीतर चिकित्सा प्राधिकारी से स्वयं के साथ-साथ अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. प्रधानाचार्य की स्पष्ट स्वीकृति के बिना कैंटीन के किसी भी कर्मचारी को कॉलेज परिसर में रात भर रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. अच्छी गुणवत्ता वाले गर्म और ठंडे पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ तैयार करना/परोसना लाइसेंसधारी के लिए अनिवार्य होगा। समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर पेय और खाद्य पदार्थों की जांच की जा सकती है।
9. लाइसेंसधारी हर समय कैंटीन परिसर और उसके आसपास पूर्ण स्वच्छता बनाए रखेगा और बर्तनों, क्रॉकरी, कटलरी, फर्नीचर आदि को स्वच्छ और प्रस्तुत करने योग्य स्थिति में रखेगा।
10. कैंटीन प्रभारी को संरक्षण के उपाय करने चाहिए और पानी की अनावश्यक बर्बादी से बचना चाहिए।
11. प्रथम श्रेणी की खाद्य सामग्री, सब्जियां, दूध, रसोई गैस आदि उपलब्ध कराना कैटरर की जिम्मेदारी होगी।
12. कैटरर भोजन तैयार करने के लिए केवल ब्रांडेड और उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का ही उपयोग करेगा।
13. प्लेटों की सफाई, बर्तन धोना और कैंटीन परिसर को साफ-सुथरा और स्वच्छ स्थिति में बनाए रखना आवश्यक है। कैटरर की ओर से किसी भी उल्लंघन पर इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न दंड खंड (Penalty clause) के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:
   क. प्रत्येक नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के बाद रसोई, हाथ धोने के क्षेत्र और बर्तन धोने के क्षेत्र को पानी और साबुन के घोल से धोया जाएगा और पोंछा लगाया जाएगा। इन क्षेत्रों को सप्ताह में एक बार या आवश्यकतानुसार कीटाणुरहित (Disinfect) किया जाएगा।
   ख. प्रत्येक उपयोग के बाद बर्तन, क्रॉकरी, भोजन की प्लेटें आदि को पानी और बर्तन धोने के घोल से अच्छी तरह धोया जाएगा। किसी भी चिपचिपाहट को दूर करने के लिए भोजन की प्लेटों को ठीक से साफ किया जाना चाहिए।

ग. रसोई के उपकरणों और अलमारियों की सफाई साप्ताहिक आधार पर की जाएगी।

घ. रेफ्रिजरेटर और अन्य उपकरणों के आंतरिक भाग की सफाई मासिक रूप से की जाएगी।

ङ. सेवा प्रदाता मासिक आधार पर कीटनाशक उपचार सहित रसोई और भोजन क्षेत्रों की स्वच्छता (Sanitization) सुनिश्चित करेगा।

च. रसोई, भोजन क्षेत्र, अतिरिक्त बर्तन, क्रॉकरी, रसोई के उपकरण, फर्नीचर आदि की सफाई और हाउसकीपिंग की एकमात्र जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी और यह उनके अपने खर्च पर होगी।

छ. सेवा प्रदाता बायोडिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग-अलग सुनिश्चित करते हुए, बंद डिब्बों में रसोई, डाइनिंग हॉल, बर्तन धोने के क्षेत्र आदि से एकत्र किए गए कचरे के दैनिक निपटान की व्यवस्था करेगा।

14. ठेकेदार को कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराए गए फर्नीचर/विद्युत उपकरणों की उचित देखभाल करनी चाहिए। श्रमिकों की लापरवाही के कारण फर्नीचर/विद्युत उपकरणों की मरम्मत ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार की जाएगी। यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षा जमा (Security Deposit) से निर्धारित लागत की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित है।
15. निविदा के साथ प्रमाणित प्रमाण पत्र, प्रशंसापत्र और अनुभव के प्रासंगिक प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
16. **अनुभव की आवश्यकताएं:** क. बोलीदाता को सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों में दो (02) वर्षों तक कैंटीन सेवाएं संचालित करने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना होगा। ख. बोलीदाता के पास किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान में कम से कम एक चालू (Ongoing) कैंटीन सेवा होनी चाहिए। संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र की एक प्रति निविदा के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
17. अनुबंध की समाप्ति पर, कैटरर परिसर खाली कर देगा और पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी फिक्स्चर, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को अच्छी स्थिति में सौंप देगा।
18. सफल बोलीदाता को **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031** के नाम पर गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद (FDR) के रूप में सुरक्षा जमा (Security Deposit) के रूप में **₹25,000/- (केवल पच्चीस हजार रुपये)** की राशि जमा करनी होगी। यदि आवश्यक हो, तो कोई भी लागू कटौती करने के बाद, समझौते की समाप्ति पर यह राशि वापस कर दी जाएगी।
19. कैंटीन संचालन में लगे सभी कर्मचारियों के उचित आचरण और व्यवहार के लिए कैटरर पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कर्मचारी कार्यस्थल पर निवास नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि कैंटीन के कामकाज से संबंधित अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो। सभी कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन किया जा सकता है।
20. कैटरर यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन के सभी कर्मचारी किसी भी संक्रामक रोग से मुक्त हैं। सभी कर्मचारियों के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (सरकारी) से वैध चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकारी अस्पतालों में कैंटीन कर्मचारियों की समय-समय पर चिकित्सा जांच (हर छह महीने में) की जा सकती है, और कैटरर इसकी जिम्मेदारी लेगा और इससे संबंधित सभी खर्च वहन करेगा।
21. ठेकेदार के पास व्यवसाय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित वैध व्यापार लाइसेंस (Trade License) होना चाहिए और वह विचाराधीन सेवाओं से संबंधित सभी कानूनों के साथ-साथ उसके अधीन व्यक्तियों के रोजगार से संबंधित कानूनों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में उपयुक्त

दस्तावेजी साक्ष्य निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस शर्त का पालन न करने वाली बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

22. ठेकेदार कार्य आवंटन पर कैंटीन चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI) के तहत लाइसेंस जमा करेगा। सफल बोलीदाता निविदा आवंटन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031 के साथ ₹100/- (केवल सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर एक समझौता निष्पादित करेगा।
23. कैंटीन चलाने के लिए अनुबंध की प्रारंभिक अवधि आवंटन की तिथि से एक (01) वर्ष होगी। संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, अनुमोदन के अधीन, अनुबंध को वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की विशेष अनुमति के बिना, अनुबंध की कुल अवधि पांच (05) वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि विस्तार प्रदान करना सरकार या प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031 की ओर से बाध्यकारी नहीं है।
24. यदि सेवा प्रदाता सेवाएं बंद करना चाहता है, तो लिखित रूप में कम से कम तीन (03) महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सेवाओं को अचानक बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
25. चेक लिस्ट के अनुसार आवश्यक शर्तों के अनुरूप न होने वाली निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
26. प्रधानाचार्य अनुबंध दिए जाने के बाद नियमों और शर्तों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
27. यदि किसी भी स्तर/समय पर ठेकेदार की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो ठेकेदार को एक महीने के नोटिस के बाद कैंटीन खाली करनी होगी।
28. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031 बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
29. यदि वित्तीय बोली खुलने के बाद, समिति की यह राय है कि उद्धृत दरें उचित, टिकाऊ और न्यायसंगत नहीं हैं, तो बोलीदाता को उद्धृत लागत को उचित ठहराना होगा। समिति L1 बोलीदाता को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और L2 बोलीदाता की दरों को L1 माना जाएगा।
30. इन नियमों में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो इन नियमों की विषय वस्तु का हिस्सा बनने वाले सभी मामलों और/या यहाँ विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए प्रासंगिक सहायक मामलों और/या यहाँ प्रदान नहीं किए गए या अपर्याप्त रूप से प्रदान किए गए मामलों के संबंध में समय-समय पर ऐसे आदेश देने के लिए प्रधानाचार्य की शक्तियों को प्रभावित करता हो, जैसा वह उचित समझें।
31. दरें साफ-सुथरी होनी चाहिए और उनमें कोई कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए।

प्रधानाचार्य

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब
धौलाकुआं, जिला सिरमौर (हि.प्र.)

दंड (PENALTY)

1. भाग-ए (Part-A) में उल्लिखित अनुमोदित मेनू के अनुसार तथा गुणवत्ता और मात्रा के संदर्भ में भोजन की आपूर्ति करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा। संविदात्मक शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031 कैटरर पर उचित समझे जाने वाले मौद्रिक जुर्माने को लगाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ऐसा कोई भी जुर्माना कैटरर को देय भुगतान से वसूल किया जाएगा या कैटरर की सुरक्षा जमा (Security Deposit) से समायोजित किया जाएगा। कैटरर द्वारा रसोई परिसर, मेज, कुर्सियों, बिजली, पानी और सैनिटरी फिटिंग तथा प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031 द्वारा आपूर्ति की गई अन्य वस्तुओं को पहुंचाए गए नुकसान के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नुकसान का मूल्य कैटरर से वसूल किया जाएगा।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक पांवटा साहिब (धौलाकुआं), हि.प्र. 173031 द्वारा नामित प्राधिकारी जुर्माना लगाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी होगा।

भवन का किराया (अर्थात कैंटीन) पानी और बिजली के शुल्क सहित

i. कैंटीन को ₹4,500/- (केवल चार हजार पाँच सौ रुपये) प्रति माह की निश्चित दर पर किराए पर दिया जाएगा।

ii. ii. समय बीत जाने या अन्यथा लाइसेंस की समाप्ति पर, लाइसेंसधारी बिना किसी बाधा या रुकावट के तुरंत और 24 घंटे के भीतर कैंटीन परिसर खाली कर देगा।

स्थल निरीक्षण (SITE VISIT)

इस निविदा दस्तावेज में दी गई कोई भी स्थल जानकारी / कार्यों की अनुसूची केवल मार्गदर्शन के लिए है। बोलीदाता/ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह अपने खर्च पर **कोई भी कार्य दिवस** को कार्य स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र का दौरा और निरीक्षण करे और निविदा जमा करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त करे। यह माना जाएगा कि बोलीदाता/ठेकेदार ने पहले से ही स्थल और उसके आसपास का निरीक्षण कर लिया है और निविदा तैयार करने और जमा करने में स्थल से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है।

(अनुलग्नक-क / Annexure-A)

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब स्थित धौलाकुआं, हि.प्र. 173031) में कैंटीन सेवाएं प्रदान करने हेतु निविदा प्रपत्र

(कृपया जहां भी आवश्यक या लागू हो, कॉलम में लिखित रूप में पूरी जानकारी दें और जहां लागू हो, संलग्नकों की पृष्ठ संख्या का भी उल्लेख करें)

निविदा विवरण

1. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:**
2. **निविदा खोलने की तिथि एवं समय:**
3. **संस्थान का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है:** राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब स्थित धौलाकुआं, हि.प्र.
4. **निविदाकर्ता / फर्म / एजेंसी का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या:**
   _____
5. **अधिकृत व्यक्ति का विवरण:**
   - **नाम:**
   - **पदनाम:** _____
   - **पता:**
   - **दूरभाष संख्या:** _____
   - **क्या वैध प्राधिकरण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है या नहीं:** हां / नहीं / लागू नहीं
6. **खाद्य अपमिश्रण अधिनियम एवं एफएसएसएआई (FSSAI) 2006 विवरण:**
   - **लाइसेंस संख्या तथा वैधता अवधि:** _____
7. **स्थायी खाता संख्या (PAN):** _____

शुल्क एवं बयाना राशि का विवरण

8. निविदा दस्तावेज का शुल्क (₹1000/-)

- **क.) राशि:** ₹ _____
- **ख.) ड्राफ्ट संख्या:** _____
- **ग.) जारी करने की तिथि:**
- **घ.) जारी करने वाले बैंक का नाम:** _____
- **ङ.) नकद भुगतान(रसीद संख्या).....**

9. जमा की गई बयाना राशि (Earnest Money Deposit) का विवरण

- **क. राशि:** रु. _____ (शब्दों में: _____)
- **ख. एफडीआर (FDR) संख्या:** _____
- **ग. जारी करने की तिथि:** Date
- **घ. जारी करने वाले प्राधिकरण / बैंक का नाम:** _____
- **ङ. वैधता अवधि, यदि कोई हो:** _____

10. **अन्य जानकारी, यदि कोई हो:**

_____

11. ठेकेदार द्वारा घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने _____ इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों, शर्तों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है, तथा मैं/हम उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं / देते हैं।

दिनांक: Date

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:
नाम एवं पता तथा संपर्क नंबर:

(अनुलग्नक-ख / Annexure-B)

वचनबद्धता / शपथ पत्र प्रस्तुत करने का प्रारूप

(इसे ₹10/- के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है और क्षेत्र के नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिए)

सेवा में,
प्रधानाचार्य,
राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब स्थित धौलाकुआं, हि.प्र. 173031

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने कैंटीन के संचालन हेतु निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने का वचन देता हूं। मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं और निम्नानुसार वचन देता हूं:

1. यह कि निविदा में मेरे द्वारा उद्धृत मूल्य बोली (Price Bid) की राशि अनुबंध की संपूर्ण अवधि के लिए वैध और मुझ पर बाध्यकारी होगी।
2. यह कि मैं अनुबंध की संपूर्ण अवधि के लिए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब स्थित धौलाकुआं, हि.प्र. 173031 में कैंटीन सेवा प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रधानाचार्य और संस्थान प्रशासन के प्रति बाध्य करता हूं।
3. यह कि मेरे द्वारा जमा की गई कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security Money) अनुबंध की समाप्ति तक प्रशासन की अभिरक्षा में रहेगी।
4. यह कि इसमें निहित और निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तें अनुबंध समझौते का हिस्सा होंगी और स्वयं अनुबंध समझौते में शामिल मानी जाएंगी।
5. यह कि मैं निविदा प्रपत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब स्थित धौलाकुआं, हि.प्र. 173031 की संतोषजनक कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगा।
6. यह कि यदि कैंटीन चलाने के लिए मेरे द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, तो मैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रम अधिनियम 1970 तथा समय-समय पर लागू अन्य श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करूंगा।
7. यह कि मेरी या मेरे कर्मचारियों की चूक के कारण संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति की भरपाई मेरी कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि से या मुझसे की जा सकेगी।

8. यह कि यदि कैंटीन सेवाएं प्रदान करने से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मेरी ओर से या मेरे कर्मचारियों की ओर से कोई चूक, लापरवाही या दुर्व्यवहार होता है, तो प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब स्थित धौलाकुआं, हि.प्र. 173031 को बिना किसी पूर्व सूचना के मेरा अनुबंध रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।प्रधानाचार्य किसी अन्य एजेंसी को भी कार्य सौंप सकते हैं, और इसके कारण होने वाली कोई भी वित्तीय हानि या लागत का अंतर मुझसे वसूला जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्रधानाचार्य मेरी कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि को, जैसा उचित समझा जाए, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। समझौते के निष्पादन के समय मेरे द्वारा कार्यनिष्पादन प्रतिभूति का पूरा विवरण और सत्यापन प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि किसी भी मामले में प्रशासन का निर्णय मुझ पर बाध्यकारी होगा।
10. मैं **तीन महीने** की पूर्व सूचना के बिना कभी भी अनुबंध समाप्त करने का प्रयास नहीं करूंगा।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर)

निविदा दस्तावेज एवं मूल्यांकन प्रणाली

निविदा दस्तावेज शुल्क एवं बयाना राशि (Earnest Money Deposit) जमा करने हेतु निर्देश (INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF COST OF TENDER DOCUMENT AND EARNEST MONEY DEPOSIT)

निविदा दस्तावेज और अन्य निर्देश संस्थान से जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं तथा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित निविदा शुल्क (गैर-वापसी योग्य) प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब स्थित धौलाकुआं, हि.प्र. 173031 (GOVT POLYTECHNIC PAONTASAHIB AT DHAULAKUAN H.P. 173031) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) और नकद पैसे के रूप में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय से पहले अर्थात् **30/11/2026 को दोपहर 1:00 बजे** से पहले जमा किया जाना चाहिए और इसका प्रमाण निविदा दस्तावेज में अपलोड किया जाना चाहिए। बयाना राशि (EMD) निविदा शुल्क के साथ सावधि जमा रसीद (FDR) (न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए) के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो **प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब स्थित धौलाकुआं, हि.प्र. 173031** के पक्ष में विधिवत गिरवी (pledged) रखी गई हो, या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे के अंदर दो (अलग-अलग लिफाफों में अनुलग्नक (Annexure) A,B और Part B(Finacial bid) में जमा किए जाने चाहिए और **30/11/2026 को दोपहर 1:00 बजे से** पहले प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पांवटा साहिब स्थित धौलाकुआं, हि.प्र. 173031 के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **30/11/2026 को दोपहर 3:00 बजे** खोली जाने वाली कैंटीन सेवाओं की निविदा" (Tender of Canteen Services to be opened on **30/11/2026** at 3:00 PM) लिखा होना चाहिए। लिफाफे के बाएं कोने पर बोलीदाता का नाम, पूरा डाक पता और मोबाइल नंबर अवश्य लिखा होना चाहिए। बोलीदाताओं के आचरण के जोखिम से क्रेता की सुरक्षा के लिए बयाना राशि (EMD) आवश्यक है। यदि बोलीदाता अपनी निविदा की वैधता अवधि के भीतर अपनी निविदा वापस लेता है या उसमें संशोधन करता है या किसी भी प्रकार से निविदा को कमजोर करता है या उससे विचलित होता है, या यदि यह ध्यान में आता है कि उसकी निविदा में प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेज गलत या झूठे हैं, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

बोली लगाने हेतु निर्देश (Instructions for bidding)

निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि और समय पर उपस्थित होने का विकल्प चुनने वाले सेवा प्रदाता/ठेकेदार (बोलीदाताओं) की उपस्थिति में बोलियां खोली जाएंगी। यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मूल तिथि के समान समय पर अगले कार्यदिवस पर खोली जाएगी। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रस्ताव मूल्यांकन (PROPOSAL EVALUATION)

प्रस्तावों का मूल्यांकन निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा:

चरण-1: निविदा समिति निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुपालन और आवश्यक लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों के लिए सहायक विवरणों/दस्तावेजों के आधार पर प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी। प्रस्ताव के साथ पात्रता मानदंडों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज और बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत न करने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।

चरण-2: बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत मद-वार दरों की संवीक्षा करने पर यह पाया जाता है कि दोनों प्रतिभागी बोलीदाताओं ने कुल 10 मदों में से 7 मदों के संबंध में न्यूनतम दरें उद्धृत की हैं। इस प्रकार, कोई भी बोलीदाता व्यक्तिगत रूप से सभी मदों के संबंध में न्यूनतम बोलीदाता के रूप में नहीं उभरा है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, मदों की संख्या के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता (L1) का निर्धारण करना, जिनके लिए न्यूनतम दरें उद्धृत की गई हैं, हमारी निविदा के लिए एक उपयुक्त मानदंड नहीं होगा। तदनुसार, निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा मूल्यांकन मानदंडों के पूर्णतः अनुरूप, सभी मदों की समग्र मूल्यांकित लागत के आधार पर वित्तीय बोलियों का आकलन किया जाएगा।

अतः, समिति पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित निविदा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, समग्र रूप से न्यूनतम मूल्यांकित उत्तरदायी बोलीदाता (L1) का निर्धारण करने के लिए हमारी निविदा में उद्धृत दरों के तुलनात्मक विवरण की जांच करेगी तथा इसी आधार पर निर्णय लेगी।

PART — A
LIST OF THE ITEMS

Sr. No.	Items	Staff/Official/ Students
1	Aloo Paratha with Butter & Curd	1
2	Paneer Paratha with Butter & Curd	1
3	Paneer Paratha with Butter or Curd	1
4	Mix Paratha with Butter & Curd	1
5	Mix Paratha with Butter or Curd	1
6	Veg Sandwich (Grilled)	1
7	Rajma/Chana/Dal + Rice +kadhi + Salad — Full Plate	1
8	Rajma/Chana/Dal + Rice +kadhi + Salad — Half Plate	1
9	Plain Maggi (Full Plate)	1
10	Masala Maggi (Full Plate)	1
11	Veg Momos (Steam) — Full Plate	10 Pcs
12	Veg Momos (Steam) — Half Plate	5 Pcs
13	Samosa (Mini, approx. 80 g)	1
14	Veg Pakode (100 g)	1
15	Chowmin (Full Plate)	1
16	Chowmin (Half Plate)	1
17	Chana Samosa (Full Plate)	1
18	Tea (Cup size: 150 ml)	1
19	Green Tea (Cup size: 150 ml)	1
20	Cold Coffee	1
21	Hot Coffee	1
22	Milk (200 ml)	1 Cup
23	Besan (100 g)	1
24	Burfee (100 g)	1
25	Butter Toast (1 slice)	1
26	Omelette (1 egg)	1
27	Omelette (2 eggs)	1
28	Boiled Egg (1 egg)	1
29	Namkeen Mutter and Sevian (100 g)	1
30	Chapati	1
31	Dal/Curry — Half Plate	1
32	Dal/Curry — Full Plate	1

Average Rate of Items Mentioned Above: Sum of prices of the above items / Number of items

Note: Juice, cold drinks, mineral water, etc. shall be charged as per M.R.P.

PART — B
FINANCIAL BID

The caterer has to provide rates in the following format:

Sr. No.	Items*	Staff/Official/ Students	Amount (₹)
1.	Aloo Paratha with Butter & Curd	1	
2.	Paneer Paratha with Butter & Curd	1	
3.	Paneer Paratha with Butter or Curd	1	
4.	Mix Paratha with Butter & Curd	1	
5.	Mix Paratha with Butter or Curd	1	
6.	Veg Sandwich (Grilled)	1	
7.	Rajma/Chana/Dal + Rice +Kadhi + Salad — Full Plate	Full Plate	
8.	Rajma/Chana/Dal + Rice +Kadhi + Salad — Half Plate	Half Plate	
9.	Plain Maggi (Full Plate)	1	
10.	Masala Maggi (Full Plate)	1	
11.	Veg Momos Steam (Full Plate)	10 Pcs	
12.	Veg Momos Steam (Half Plate)	5 Pcs	
13.	Samosa (Mini)	1	
14.	Veg Pakode (100 g)	1	
15.	Chowmin (Full Plate)	1	
16.	Chowmin (Half Plate)	1	
17.	Chana Samosa (Full Plate)	1	
18.	Tea (Cup size: 150 ml)	1	
19.	Green Tea (Cup size: 150 ml)	1	
20.	Cold Coffee	1	
21.	Hot Coffee	1	
22.	Milk (200 ml)	1 Cup	
23.	Besan (100 g)	1	
24.	Burfee (100 g)	1	
25.	Butter Toast (1 slice)	1	
26.	Omelette (1 egg)	1	
27.	Omelette (2 eggs)	1	
28.	Boiled Egg (1 egg)	1	
29.	Namkeen Mutter and Sevian (100 g)	1	
30.	Chapati	1	

31.	Dal/Curry — Half Plate	Half Plate	
32.	Dal/Curry — Full Plate	Full Plate	
Net Amount of Above Items			
Average Rate of Items Mentioned Above: Net Amount of Items / Number of Items			
Note: Juice, Cold Drinks, Mineral Water etc. as per M.R.P.			

Note:

1. The above rates shall be all-inclusive and represent the total amount to be charged from each student. There shall be no hidden charges under any circumstances.

2. Payment made through UPI, Net Banking or any other online mode should be accepted without any additional charges to the students

.

Signature of the Caterer/Contractor
(With Full Name and Address)